



Neutral Citation No. - 2026:AHC:65279

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 8361 वर्ष 2026

बब्लू सैनी

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता	: संजय कुमार शर्मा
प्रतिपक्षी के अधिवक्ता	: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री संजय कुमार शर्मा तथा राज्य-प्रतिपक्षीगण की ओर से उपस्थित श्री राधेश्याम, ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र, बी.एन.एस.एस., 2023 की धारा 483 के अंतर्गत, आवेदक बब्लू सैनी की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि मुकदमा अपराध संख्या 1153 वर्ष 2025, धारा 8/20 नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम, थाना मझोला, जनपद मुरादाबाद में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए।
3. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे दुर्भावनावश इस प्रकरण में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। यह भी निवेदन किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार आवेदक के कब्जे से 1.230 किलोग्राम चरस की बरामदगी दर्शाई गई है। यह भी कहा गया है कि पुलिस द्वारा एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 एवं 52-ए के अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन नहीं

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



किया गया है तथा आवेदक का आपराधिक इतिहास है, जिसका समुचित स्पष्टीकरण अनुपूरक शपथपत्र में प्रस्तुत किया गया है। यह भी निवेदन किया गया है कि कथित मादक पदार्थ का वजन पॉलीथीन सहित किया गया है, जिससे वास्तविक बरामद मात्रा स्पष्ट नहीं है। यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से पलायन करने अथवा साक्षियों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक दिनांक 01.12.2025 से कारागार में निरुद्ध है तथा यह आश्वासन देता है कि जमानत पर रिहा होने पर स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया है कि न्यायालयों में वादों की अत्यधिक लंबितता के कारण विचारण के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

4. इसके विपरीत, राज्य की ओर से प्रस्तुत ए.जी.ए. द्वारा जमानत प्रार्थना का विरोध किया गया।

5. अभिलेख से यह परिलक्षित होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार आवेदक के कब्जे से 1.230 किलोग्राम चरस की बरामदगी दर्शाई गई है। यह भी उल्लेखित है कि पुलिस द्वारा एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 एवं 52-ए के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है तथा आवेदक का आपराधिक इतिहास है, जिसका स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है। यह भी इंगित है कि कथित मादक पदार्थ का वजन पॉलीथीन सहित किया गया है, जिससे वास्तविक मात्रा स्पष्ट नहीं है तथा आवेदक दिनांक 01.12.2025 से निरुद्ध है।

6. अभिलेख पर उपलब्ध समस्त तथ्यों, आरोपों की प्रकृति तथा साक्ष्यों का सम्यक् विचार करते हुए तथा एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 37 को ध्यान में रखते हुए तथा वाद के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि जमानत प्रदान किए जाने का उपयुक्त मामला बनता है। अतः वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किया जाता है।

7. आदेशित किया जाता है कि आवेदक **बब्लू सैनी** को उपर्युक्त मुकदमा अपराध में, 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए :-

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



- (i) आवेदक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी व्यक्ति को, जो प्रकरण के तथ्यों से परिचित हो, किसी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे वह न्यायालय या पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्य प्रकट करने से विमुख हो अथवा साक्ष्यों से छेड़छाड़ करे।
- (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर किसी प्रकार का दबाव या भय उत्पन्न नहीं करेगा।
- (iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष नियत तिथियों पर, (i) वाद के उद्घाटन, (ii) आरोप निर्धारण तथा (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अंतर्गत कथन के अभिलेखन के समय, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
- (iv) आवेदक यह उपबंध प्रस्तुत करेगा कि जब साक्ष्य के लिए तिथि नियत हो और साक्षी उपस्थित हों, तब वह किसी प्रकार का स्थगन आवेदन प्रस्तुत नहीं करेगा।
- (v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष, व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।
8. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की दशा में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक सीमित रहेगी तथा वाद के गुण-दोष पर किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति नहीं मानी जाएगी। विचारण न्यायालय उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र रहेगा।

(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

दिनांक : 26 मार्च, 2026

कुमार मनीष

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”